


वर्दशी व्पापार नीतऱ 2023

//

विदेश व्पापार नीतऱ 2023



भारत का निर्यात लक्ष्य

वर्ष 2030 तक USD 2 ट्रिलियन (सेवाओं और व्पापारिक वस्तुओं के निर्यात सहित)

वर्तमान परिदृश्य: USD 750+ बिलियन (सेवाओं और व्पापारिक वस्तुओं के निर्यात सहित)

FTP 2023 के 4 स्तंभऱ

- छूट के लिये प्रोत्साहन।
- सहयोग के माध्यम से निर्यात संबर्द्धन - निर्यातक, राज्य, ज़िले।
- व्पापार करने में सुगमता, लेन-देन की लागत में कमी और इंड-पहल।
- उभरते क्षेत्र- ई-कॉमर्स निर्यात हब के रूप में ज़िलों का विकास करना एवं SCOMET नीति को सुव्यवस्थित करना।

SCOMET

विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी को संदर्भित करता है

स्कोमेट दोहरे उपयोग वाली वस्तुएँ हैं: नागरिक और साथ ही सैन्य अनुप्रयोग (सामूहिक विनाश के हथियार)

नए अवयव

- ई-कॉमर्स पर दिशा-निर्देशों की घोषणा की जाएगी
- भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण
- ज़िला निर्यात हब: ज़िला और राज्य स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समितियों की स्थापना की जाएगी।
- मर्चेंटिंग व्पापार सुधार

शुरू की गई योजनाएँ/सुधार

- एमनेस्टी योजना:
 - निर्यातकों के लिये; लंबित प्राधिकरण बंद करना और नए सिरे से शुरू करना
- निर्यात उत्कृष्टता योजना वाले शहर:
 - 4 नए निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर (TEE) घोषित - फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी (अब कुल 43 TEE)
 - TEE के पास निर्यात प्रोत्साहन निधियों तक पहुँच में प्राथमिकता होगी
- स्टेटस होल्डर योजना:
 - स्थिति पहचान मानदंडों का पुनः परीक्षण किया जाएगा
 - 2-सितारा और उससे ऊपर के स्तर के धारकों को इच्छुक व्यक्तियों को व्पापार-संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा
- EPCG योजना
 - पीएम मित्र, EVs और ग्रीन टेक को EPCG लाभ प्राप्त होंगे
 - डेयरी क्षेत्र को औसत निर्यात दायित्व बनाए रखने से छूट दी गई है
- अग्रिम प्राधिकरण योजना (AAS)
 - निर्यात वस्तुओं के निर्माण के लिये कच्चे माल का शुल्क मुक्त आयात (घरेलू टैरिफ क्षेत्र द्वारा एक्सेस के आधार पर)
 - परिधान/वस्त्र क्षेत्र के निर्यात के लिये विशेष AAS का विस्तार (स्व-घोषणा के आधार पर)